1,42,726/— रूपये का डीजल क्रय करने का है जिस पर भी बरामदी स्वरूप राजाराम, रूपराम व साहबराम के हस्ताक्षर है। बिल संख्या 2675/20.10.2020 जो कि राशि 36340/— रूपये से 500 लीटर डीजल का है और राजाराम के नाम से है और बिल संख्या बिल संख्या 2676/21.10.2020 जो कि राशि 36340/— रूपये से 500 लीटर डीजल क्रय का है और बृजलाल के नाम से है और दोनों बिलों पर बरामदी स्वरूप साहबराम व राजाराम के हस्ताक्षर उपलब्ध है। बिल संख्या 620 दिनांक 26.09.2020 जो कि राशि 29036 रूपये का है। जिस पर बरामदी स्वरूप साहबराम व राजाराम के हस्ताक्षर उपलब्ध है। एक अन्य बिल संख्या 122 दिनांक 26.09.20 राशि 6309 का है जिस पर बरामदी स्वरूप साहबराम व राजाराम के हस्ताक्षर है। इसप्रकार उक्त बिलों के अनुसार साहबराम द्वारा 108 लीटर पैट्रोल, 5373.93 लीटर डीजल क्रय किया गया है। इसप्रकार स्पष्ट है कि राजाराम अपने दोनों वाहनों सहित आरजे 13 जीबी 6821 एवं आरजे 13 जीबी 3573 एवं साहबराम अपने वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 6590 के द्वारा संयुक्त रूप से बिना किसी वैद्य अनुज्ञा पत्र/परमिट के डीजल के अवैध कारोबार में लिप्त है। इसप्रकार उनके द्वारा डीजल का अवैध परिवहन व क्षमता से अधिक भण्डारण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन औद अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आरल), 3(4)(6), 08 तथा पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लाज 2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए [illegible] जब्तशुदा तीनों वाहन एवं पैट्रोल/डीजल एवं उपकरण राजसात [illegible] ज[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है [illegible] अप्रार्थीगण द्वारा बिल संख्या 8651/21.10.2020—सुधीर कुमार— 900 लीटर डीजल, बिल संख्या 8652/21.10.2020—विनोद कुमार — 900 लीटर डीजल, बिल संख्या

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण सं0 101/2020(RCMS No. : 2020/00273) अनवान सरकार <u>बनाम</u> 1. राजाराम पुत्र श्री भादरराम जाति जाट निवासी 2 जीएम ढाणी, रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ 2. साहबराम पुत्र श्री रामचन्द्र बिश्नोई गोपालपुरा 3 सीएम राजियासर तहसील सूरतगढ 3. विनोद पुत्र श्री हंसराज बिश्नोर्ठ गोपालपुरा बस स्टैंड राजियासर तहसील सूरतगढ 4. सुधीर पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट ...डली पुलिस थाना जैतसर तहसील श्रीविजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>20.04.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण राजाराम पुत्र भादरराम, साहबराम पुत्र रामचन्द्र, विनोद पुत्र हंसराज एवं सुधीर पुत्र ओम प्रकाश की ओर से श्री आनन्द व्यास, अभिभाषक उपस्थित है एवं विभागीय प्रतिनिधि के रूप में श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, श्रीगंगानगर उपस्थित है। उनके द्वारा जब्त किये गये उक्त तीनों वाहनों के अलग अलग बाजार मूल्य बाबत पत्र पेश किया, जो शामिल किया गया। विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार द्वारा लिखित बहस पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई और उक्त लिखित बहस की प्रति अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास को भी दिलाई गई। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा फहरिस्त सूची में अंकित जमाबंदी साहबराम पुत्र रामचन्द चक 2 सीएम की 1.771 है., भादरराम पुत्र टीकूराम चक 16 जीएम की 1.810 है. (अप्रार्थी राजाराम का पिता) एवं नानकराम पुत्र टीकूराम चक 16 जी एम की 1.808 है. (अप्रार्थी राजाराम का चाचा) की ऑनलाईन फोटो प्रति पेश की, **जो शामिल पत्रावली की गई। जिस पर निम्न प्रकार से नोट अंकित है**

"यह प्रपत्र केवल पक्षों की जानकारी के लिए है।"
"इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि हस्तगत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एसबी क्रिमिलन मिस. (पैटी.) 3838 / 2020 अनवानी राजाराम, साहबराम बनाम स्टेट में आदेश दिनांक 22.03.2021 जो कि उनके द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 25.03.2021 को माननीय न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर पेश की हुई है, जिसके अनुसार आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार कर निर्णय करना है।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने लिखित जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन कि है कि अप्रार्थी राजाराम का निवास स्थान 2 जी ढाणी पुलिस थाना रामसिंहपुर में है। उक्त ढाणी के आगे खुली जगह में अप्रार्थी राजराम, उनके साथ साहबराम, सुधीर कुमार, विनोद कुमार भी अपने कृषि कार्य के लिए डीजल लेकर आये थे एवं अप्रार्थी राजाराम का घर रास्ते में व सभी के खेत के नजदीक होने के कारण अप्रार्थीगण रूके थे। वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 6821 एवं आरजे 13 जीबी 3573 का मालिक अप्रार्थी राजाराम है एवं वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 6590 का मालिक अप्रार्थी साहबराम है और विनोद कुमार अप्रार्थी साहबराम का ड्राईवर न होकर बल्कि स्वयं कृषक है। इसलिए राजाराम अपने अपने स्वयं के वाहन आरजे 13 जीबी 3573 में दिनांक 21.10.2020 को 990 लीटर डीजल जरिऐ बिल नं 8667 दिनांक 21.10.2020 से क्रय कर[illegible] करके अपनी ढाणी में लाया है एवं अप्रार्थी साहबराम भी अपने वाहन [illegible] 13 जीबी 6590 में स्वयं के 990 लीटर डीजल जरिऐ बिल नं 8668 दिनांक 21.10.2020 एवं इसी वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 6590 में विनोद कुमार भी 900 लीटर डीजल जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

बिल नं. 8652 दिनांक 21.10.2020 अपने खेती कार्य के लिए लाया है। इसी प्रकार अप्रार्थी सुधीर कुमार अप्रार्थी राजाराम के वाहन संख्या आरजे 13 जीबी 6821 डीजल परिवहन हेतु मांगकर लाया और सुधीर कुमार अपने खेती कार्य के लिए जरिये बिल संख्या 8651 दिनांक 21.10.2020 में लीटर डीजल परिवहन करके लाया था और पूर्व में परिवहन करने के अप्रार्थी के विरूद्ध कोई बिल साक्ष्य नहीं है।

उनका आगे कथन है कि समस्त डीजल उक्त भिन्न भिन्न वाहनों से अप्रार्थीगण पंजाब स्थित पैट्रोल पम्प मैसर्स शेरगढ़ फिलिंग स्टेशन, वरयामखेडा रोड, शेरगढ (पंजाब) में सस्ता होने के कारण अपने कृषि कार्यों के लिए क्रय करके लाये है जो कि राज्य सरकार के अधिसूचना के अनुसार 1000 लीटर से कम व केन्द्र सरकार के नियमानुसार 2500 लीटर से कम है। इसप्रकार उनके द्वारा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में मोटर स्प्रिट व उच्च वेग डीजल 2005 तथा पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण अैर प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 एवं इस सम्बन्ध में किसी अन्य आदेश/अध्यादेश/अधिनियम /नियम की कोई अवहेलना नहीं की है इसलिए विभाग द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर उनके विरूद्ध प्रस्तुत किये गये इस धारा 6ए के प्रकरण को निरस्त किया जावे और राजसात की कार्यवाही समाप्त की जावे और जब्तशुदा वाहन व डीजल वापिस लौटाया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण डीजल के किसी भी अवैद्य व्यापार में लिप्त नहीं है और न [illegible] प्रकार का डीजल का कोई अवैध व्यापार करते हुए उन्हें पकड़ा गया है [illegible] जो डीजल के परिमाप मौके पर प्रकरण में जब्त करने बताये है वह कृषि कार्य हेतुं प्रयुक्त साधनों, ट्रैक्टर ईंजन में डीजल डालने हेतु रखे गये है। इसलिए इन प्रमाणों के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण के विरूद्ध अवैध कारोबार करने की राय बनाना उचित नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे और जब्तशुदा वाहन व डीजल एवं अन्य परिमाप आदि वापिस लौटाया जावे।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने 6ए के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि थानाधिकारी, पुलिस थाना रामसिंहपुर (अनूपगढ) जिला श्रीगंगानगर के पत्रांक 3027 दिनांक 22.10.2020 के अनुसार दिनांक 22.10.2020 को रात्रि 10:32 बजे श्री रोहित सांखला (आर.पी.एस.)थानधिकारी, पुलिस थाना रामसिंहपुर मुखबिर की सूचना की, राजाराम पुत्र श्री भादरराम जाति जाट निवासी 2 जीएम ढाणी के आगे खुली जगह में भारी मात्रा में अवैध डीजल जैसा तरल पदार्थ से भरी हुई 3 पिकअप बोलेरो गाडी खडी थी जिसमें ड्रमों में डीजल जैसा तरल पदार्थ खाली किया जा रहा है, की जाचं के लिए पहुंचे। मौके पर पाया कि ढाणी के आगे खाली जगह में 02 बोलेरों पिकअप व 01 बोलेरो कैंपर के पास 04 व्यक्ति 01 गाड़ी में से ड्रम उतार रहे थे। मौके पर उपस्थित 04 व्यक्तियों में पहले व्यक्ति द्वारा नाम 1. **राजाराम पुत्र भादरराम** जाति जाट उम्र 38 साल निवासी 2 जीएम ढाणी बताया व मौके पर खड़ी **महिंद्रा पिकअप RJ13-GB-6821 अपनी गाड़ी होना** बातया। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम साहबराम पुत्र श्री रामचंद्र बिश्नोई उम्र 35 साल निवासी भोपालपुरा चक 3 सीएम बताया तथा **साहबराम ने महिंद्रा पिकअप RJ13-GB-6590 अपनी गाड़ी होना बताया।** तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम **विनोद कुमार पुत्र हंसराज** जाति बिश्नोई उम्र 30 साल निवासी भोपालपुरा बस स्टैंड बताया व **विनोद कुमार ने स्वयं को साहबराम की गाड़ी पिकअप RJ13-GB-6821 का परिचालक होना बातया।** चौथे व्यक्ति ने अपना नाम सुधीर पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गुड़ली होना बताया व **सुधीर कुमार ने मौके पर खड़ी महिंद्रा कैंपर पिकअप RJ13-GB-3573 अपनी गाड़ी होना बातया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन है कि चारों व्यक्तियों द्वारा बताया कि वाहन मे डीजल है जिसे वह शेरगढ़ (पंजाब) से खरीद कर लाए है। महिंद्रा पिकअप **RJ13-GB-6821** का निरीक्षण किया तो गाड़ी में पीछे 15 प्लास्टिक के नीले ड्रम रखे हुए थे, प्रत्येक ड्रम में करीब 220 लीटर डीजल पदार्थ भरा हुआ था। इसके साथ ही दो प्लास्टिक के जेरिकन जिनमें करीब 40–40 लीटल डीजल भरा हुआ है, रखे मिले, इस प्रकार 15 ड्रम व **जेरिकन में करीब 3380 लीटर डीजल जैसा तरल पदार्थ भरा मिला और** मौके पर पिकअप के डाले के पास नीचे चार ड्रम रखे हुए थे, सभी को खोलकर देख गया तो एक पीले रंग के ड्रम में करीब 200 लीटर डीजल जैसा तरल पदार्थ था व एक काले ड्रम में 50 लीटर डीजल जैसा पदार्थ व एक लोहे के ड्रम में करीब 50 लीटर डीजल जैसा तरल पदार्थ था व एक पीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम में करीब 30 लीटर जैसा डीजल जैसा पदार्थ था इस प्रकार पिकअप के पीछे 04 ड्रमों में करीब 350 लीटर डीजल जैसा तरल पदार्थ रखा हुआ मिला। साथ ही पिकअप के पीछे 02 लोहे के जरीकन में 20–20 लीटर सी.एल. तेल जैसा तरल पदार्थ भरा हुआ था, पिकअप में 01 लोहे की तेल निकालने वाली पंप मशीन व 02 लोहे की कीप व एक 10 लीटर लोहे का नाप व 02 प्लास्टिक पाईप करीब 3 मीटर की रखी हुई मिली। है। इस प्रकार राजराम के उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीबी **RJ13-GB-6821** से कुल 3730 लीटर डीजल , 40 लीटर सी.एल ऑयल, 01 लोहे का तेल निकालने का पंप, 02 लोहे की कीप एवं एक 10 लीटर लोहे का नाप व 02 प्लास्टिक पाईप करीब 3 मीटर मिला जबकि अप्रार्थी पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण एवं प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के अनुसार 25[illegible] लीटर तक क्रय कर परिवहन करने की छूट है। इस प्रकार अप्रार्थी [illegible] स्पष्ट रूप से उक्त आदेश 1999 की अवहेलना की गई हैं। इसलिए उक्त वाहन, डीजल एवं अन्य सामान राजसात किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त के अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी साहबराम के वाहन महिंद्रा पिकअप **RJ13-GB-6590** में 15 नीले रंग के ड्रम रखे मिले, सभी 15 ड्रम खाली थे, परन्तु उनसे डीजल जैसी बू आ रही थी।

इस तरह अप्रार्थी राजराम का वाहन महिंद्रा कैंपर RJ13-GB-3573 के पीछे डाले में कुल 2 (रंग नीला व लाल) ड्रम रखे थे व इसके अलावा 04 प्लास्टिक के 50-50 लीटर के जैरीकैन (रंग 02 स्लेटी व 01 काला व 01 नीला) थे, 02 जैरीकेन 20-20 लीटर वाले लोहे के महिंद्रा कैंपर RJ13-GB-3573 में रखे सभी ड्रम व जैरीकैन खाली होने पाए, परन्तु सभी से डीजल जैसी बू आ रही थी। इस प्रकार इन 04 व्यक्तियों से भारी मात्रा में डीजल जैसा तरल पदार्थ अपने कब्जे में रखने व परिवहन बाबत लाइसेंस, परमिट अथवा कोई वैद्य दस्तावेज बाबत पूछा गया तो चारों व्यक्तियेां ने अपने पास नहीं होना बातया। इसपर इस पर 3380 लीटर + 350 लीटर डीजल व 40 लीटर सी.एल. ऑयल तथा 03 वाहन 1. RJ13-GB-6821 2. RJ13-GB-6590 3. RJ13-**GB-3573 को चारों व्यक्तियों को पुलिस थाना रामसिंहपुर लाया गया।**

उनका आगे यह भी कथन है कि थानाधिकारी, पुलिस थाना, रामसिंहपुर के पत्रांक 3027/22.10.2020 के क्रम में **दिनांक 23.10.2020 को पुनः श्री राकेश सोनी, जिला रसद अधिकारी, हमराह श्री सुरेश कुमार प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय व श्री संदीप गौड़, प्रवर्तन अधिकारी, पदमपुर पुलिस थाना रामसिंहपुर पहुंचे।** मौके पर पुलिस द्वारा तहरीर में दिये गये विस्तृत के अनुसार कार्यवाही संपादित की गई। मौके पर तीन वाहन खड़े पाये गये जिनमें ड्रम लदे हुए थे। इस पर दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष तीनों गाडियों में रखे ड्रमों को उतरवाया [illegible] से गाड़ियों में रखे ड्रमों के डीजल को मापा गया। [illegible] में 04 प्लास्टिक के ड्रम लदे हुए थे माप [illegible] लीटर, एक में 180 लीटर, एक में 160 लीटर व एक में 40 लीटर डीजल [illegible]सा तरल पदार्थ थो, जो सूंघने

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

पर डीजल जैसा प्रतीत हुआ। इस प्रकार **वाहन RJ13-GB-3573 में कुल 610 लीटर डीजल पाया।**

उनका आगे कथन है कि दूसरे वाहन **RJ13-GB-6590** में कुल 07 ड्रम के डीजल को गेज से मापा गया तीन ड्रमों में 210 लीटर अनुसार 630 लीटर डीजल व 02 प्लास्टिक के ड्रमें में 230 लीटर के अनुसार 460 लीटर डीजल व एक लोहे का ड्रम जिसमें हस्तचलित पंप लगा हुआ था में 160 लीटर डीजल व एक लोहे के ड्रम में 50 लीटर डीजल इस प्रकार इस वाहन में **कुल 1300 लीटर डीजल** भरा हुआ था।

उनका आगे कथन है कि इस क्रम में पुलिस थाना में खड़े **तीसरे वाहन RJ13-GB-6821** में कुल 08 ड्रम लोड थे, मौके पर गेज से माप किया गया। माप करने पर 04 प्लास्टिक के ड्रमों में 230 लीटर अनुसार 920 लीटर व शेष चार प्लास्टिक के ड्रमों में 210 लीटर प्रति ड्रम के अनुसार 840 लीटर डीजल व दो कैनियों में 50 लीटर प्रति कैनी अनुसार कुल 100 लीटर डीजल इस प्रकार **कुल 1860 लीटर डीजल रखा** मिला।

उनका आगे कथन है कि मौके पर गाड़ियों के पास खाली ड्रम व जरिकेन व अन्य सामग्रियां भी पाई, जिनका ब्यौरा है कि लोहे के 04 जेरिकन 20 लीटर क्षमता के दो खाली तथा दो में **40 लीटर सी.एल. ऑयल**, 01 लोहे की बडी चोरस कीप, एक लोहे की छोटी कीप, एक दस लीटर का लोहे का माप व 18 प्लास्टिक के खाली ड्रम , तीन पचास लीटर की व एक तीस लीटर क्षमता की खाली प्लास्टिक की कैनियां, 01 प्लास्टिक पाईप हरे रंग की तकरीबन 15 फुट व भूरे रंग की 6 फीट प्लास्टिक पाये गये।

उनका आगे यह भी कथ[illegible] मौके पर थानाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके [illegible]णी में सम्पादित की गई थी और चूंकि डीजल की मात्रा ज्याद[illegible] व एक बोलेरो गाड़ी या वाहन में इतनी मात्रा में आना संभव नहीं थी। अतः भरे हुए डीजल के ड्रमों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अलग—अलग दो अन्य महिन्द्रा बोलेरो गाडियों में भरकर लाया गया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि मुताबिक थानाधिकारी मौके पर दौरान कार्यवाही 2 जीएम ढाणी में एक साथ बोलेरो पिकअप वाहन , भारी मात्रा में डीजल भरे ड्रम व माप हेतु पाये गये माप व पाईप का पाया जाने से प्रतीत होता है कि **अप्रार्थी राजाराम द्वारा अपनी ढाणी में अवैध डीजल का बिला लाईसेंस व परमिट के बेचान की मंशा से अपने कब्जे में रखा गया है। मौके पर एक साथ पाये गये तीन वाहनों से प्रतीत होता है कि अप्रार्थी राजाराम द्वारा डीजल का परिवहन अवैध से भी किया जा रहा** है।

विभागीय प्रतिनिधि का आगे यह भी कथन है कि दौराने जांच राजाराम पुत्र भादरराम द्वारा पूछने पर बताया कि उक्त **डीजल ग्राम पंचायत धोलीपालियां तहसील ऐहलानाबाद सिरसा के अंजनी फिलिंग स्टेशन से बिल नं 618 दिनांक 26.06.20, 122/26.09.20, 620/26.09.20 व 943/18.10.2020 साहबराम बिश्नोई के नाम से सस्ता होने के कारण खरीद कर लाये है।** मौके पर **राजाराम से डीजल के संबधं में कोई वैद्य दस्तावेज लाईसेंस/परमिट रखने या होने के बारे में पूछा या तो उसके द्वारा कोई भी लाईसेंस या परमिट नहीं होना बताया व ना ही प्रस्तुत किया। राजाराम द्वारा पूछने पर यह भी बताया गया कि हरियाणा में 9.86 रू. प्रतिलीटर डीजल सस्ता होने के कारण व स्वयं के उपयोग के लिए लाता है। उनके द्वारा अन्य बिल भी राजाराम व बृजलाल के नाम से क्रमशः 2675 व 2676 दिनांक 21.10.2020 के 500—500 लीटर के जारी है।**

उनका यह भी कथन है कि मौके पर जब्तशुदा डीजल के बिल संख्या 618/26.06.2020 साहबराम बिश्नोई के नाम से 68 लीटर पेट्रोल व 3043 लीटर डीजल राशि [illegible] का है उस पर बरामदी स्वरूप बिलों पर [illegible] दोनों के हस्ताक्षर उपलब्ध है और बिल संख्या 943/18.10.20 जो कि 1976 लीटर डीजल जो कि राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

8667/21.10.2020—राजाराम — 990 लीटर डीजल, बिल संख्या 8668/21.10.2020—साहबराम — 990 लीटर डीजल के जो अपने जवाब के साथ पेश किये है जो बाद में After thought प्राप्त किये है। अगर उक्त बिल वास्तव में इनके पास थे तो मौके पर जब्ती के समय अन्य बिलों के साथ उक्त बिल भी पेश कर सकते थे जो नहीं किये गये। इसलिए इन बिलों का अप्रार्थीगण कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। **इसलिए जब्तशुदा वाहन एवं पैट्रोल/डीजल एवं अन्य उपकरण राजसात किये जावे।**

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण के उक्त वाहन डीजल/पैट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है इसलिए जब्तशुदा वाहन संख्या RJ13-GB-6821 **एवं** RJ13-GB-6590 **का अनुमानित बाजार भाव आठ—आठ लाख रूपये होने है एवं वाहन संख्या** RJ13-GB-3573 **का अनुमानित बाजार भाव छः लाख रूपये होने के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात करने की दशा में वाहनों के बाजर मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है।** इसलिए उक्त जब्तशुदा वाहनों के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जावे और जुर्माना राशि अदा करने पर ही वाहन स्वामी को वाहन लौटाया जा सकता है।

मैनें, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास के द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्कों एवं लिखित बहस एवं प्रस्तुत 6ए के प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और मनन [illegible] पाया कि दिनांक 25.11.2020 को जिला रसद अधिक[illegible] के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि थानाधिकारी, पुलिस थाना रामसिंहपुर (अनूपगढ) जिला श्रीगंगानगर के पत्रांक 3027 दिनांक 22.10.2020 के अनुसार दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

22.10.2020 को रात्रि 10:32 बजे श्री रोहित सांखला (आर.पी.एस.) थानधिकारी, पुलिस थाना रामसिंहपुर मुखबिर की सूचना की, राजाराम पुत्र श्री भादरराम जाति जाट निवासी 2 जीएम ढाणी के आगे खुली जगह में भारी मात्रा में अवैध डीजल जैसा तरल पदार्थ से भरी हुई 3 पिकअप बोलेरो गाडी खडी थी जिसमें ड्रमों में डीजल जैसा तरल पदार्थ खाली किया जा रहा है, की जाचं के लिए पहुंचे। मौके पर पाया कि ढाणी के आगे खाली जगह में 02 बोलेरों पिकअप व 01 बोलेरो कैंपर के पास 04 व्यक्ति 01 गाड़ी में से ड्रम उतार रहे थे। मौके पर उपस्थित 04 व्यक्तियों में पहले व्यक्ति द्वारा नाम 1. **राजाराम पुत्र भादरराम** जाति जाट उम्र 38 साल निवासी 2 जीएम ढाणी बताया व मौके पर खड़ी **महिंद्रा पिकअप RJ13-GB-6821 अपनी गाड़ी होना** बातया। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम साहबराम पुत्र श्री रामचंद्र बिश्नोई उम्र 35 साल निवासी भोपालपुरा चक 3 सीएम बताया तथा **साहबराम ने महिंद्रा पिकअप RJ13-GB-6590 अपनी गाड़ी होना बताया।** तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम **विनोद कुमार पुत्र हंसराज** जाति बिश्नोई उम्र 30 साल निवासी भोपालपुरा बस स्टैंड बताया व **विनोद कुमार ने स्वयं को साहबराम की गाड़ी पिकअप RJ13-GB-6821 का परिचालक होना बातया।** चौथे व्यक्ति ने अपना नाम सुधीर पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गुड़ली होना बताया व **सुधीर कुमार ने मौके पर खड़ी महिंद्रा कैंपर पिकअप RJ13-GB-3573 अपनी गाड़ी होना बातया।** चारों व्यक्तियों द्वारा बताया कि वाहन मे डीजल है जिसे वह शेरगढ़ (पंजाब) से खरीद कर लाए है। महिंद्रा पिकअप RJ13-GB-6821 का निरीक्षण किया तो गाड़ी में पीछे 15 [illegible] के नीले ड्रम रखे हुए थे, प्रत्येक ड्रम में करीब 220 लीटर डीजल भरा हुआ था। इसके साथ ही दो प्लास्टिक के जेरिकन जिनमें करीब 40—40 लीटल डीजल भरा हुआ है, रखे मिले, इस प्रकार 15 ड्रम व **जेरिकन में करीब 3380 लीटर डीजल जैसा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तरल पदार्थ भरा मिला और मौके पर पिकअप के डाले के पास नीचे चार ड्रम रखे हुए थे, सभी को खोलकर देख गया तो एक पीले रंग के ड्रम में करीब 200 लीटर डीजल जैसा तरल पदार्थ था व एक काले ड्रम में 50 लीटर डीजल जैसा पदार्थ व एक लोहे के ड्रम में करीब 50 लीटर डीजल जैसा तरल पदार्थ था व एक पीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम में करीब 30 लीटर जैसा डीजल जैसा पदार्थ था इस प्रकार पिकअप के पीछे 04 ड्रमों में करीब 350 लीटर डीजल जैसा तरल पदार्थ रखा हुआ मिला। साथ ही पिकअप के पीछे 02 लोहे के जरीकन में 20—20 लीटर सी.एल. तेल जैसा तरल पदार्थ भरा हुआ था, पिकअप में 01 लोहे की तेल निकालने वाली पंप मशीन व 02 लोहे की कीप व एक 10 लीटर लोहे का नाप व 02 प्लास्टिक पाईप करीब 3 मीटर की रखी हुई मिली। है। इस प्रकार राजराम के उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीबी **RJ13-GB-6821** से कुल 3730 लीटर डीजल , 40 लीटर सी. एल ऑयल, 01 लोहे का तेल निकालने का पंप, 02 लोहे की कीप एवं एक 10 लीटर लोहे का नाप व 02 प्लास्टिक पाईप करीब 3 मीटर मिला जबकि अप्रार्थी पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण एवं प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के अनुसार 2500 लीटर तक क्रय कर परिवहन करने की छूट है। इस प्रकार अप्रार्थी राजाराम द्वारा स्पष्ट रूप से उक्त आदेश 1999 की अवहेलना की गई हैं। इसलिए उक्त वाहन, डीजल एवं अन्य सामान राजसात किये जावे। अप्रार्थी साहबराम के वाहन महिंद्रा पिकअप **RJ13-GB-6590** में 15 नीले रंग के ड्रम रखे मिले, सभी 15 ड्रम खाली थे, परन्तु उनसे डीजल जैसी बू आ रही थी। अप्रार्थी राजराम का वाहन महिंद्रा कैंपर **RJ13-GB-3573** के पीछे डाले में कुल 2 (रंग नीला व लाल) ड्रम रखे थे व इसके अलावा 04 प्लास्टिक के 50—50 लीटर के जरीकन (रंग 02 सफेद व 01 काला व 01 नीला) थे, 02 जैरीकेन 20—20 लीटर पीले लोहे के महिंद्रा कैंपर **RJ13-GB-3573** में रखे सभी ड्रम व जैरीकैन खाली होने पाए, परन्तु सभी से डीजल

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जैसी बू आ रही थी। इस प्रकार इन 04 व्यक्तियों से भारी मात्रा में डीजल जैसा तरल पदार्थ अपने कब्जे में रखने व परिवहन बाबत लाइसेंस, परमिट अथवा कोई वैद्य दस्तावेज बाबत पूछा गया तो चारों व्यक्तियेां ने अपने पास नहीं होना बातया। इसपर इस पर 3380 लीटर + 350 लीटर डीजल व 40 लीटर सी.एल. ऑयल तथा 03 वाहन 1- RJ13-GB-6821 2. RJ13-GB-6590 3. RJ13-GB-3573 **को चारों व्यक्तियों को पुलिस थाना रामसिंहपुर लाया गया।**

थानाधिकारी, पुलिस थाना, रामसिंहपुर के पत्रांक 3027/22.10.2020 के क्रम में **दिनांक 23.10.2020 को पुनः श्री राकेश सोनी, जिला रसद अधिकारी, हमराह श्री सुरेश कुमार प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय व श्री संदीप गौड़, प्रवर्तन अधिकारी, पदमपुर पुलिस थाना रामसिंहपुर पहुंचे।** मौके पर पुलिस द्वारा तहरीर में दिये गये विस्तृत के अनुसार कार्यवाही संपादित की गई। मौके पर तीन वाहन खड़े पाये गये जिनमें ड्रम लदे हुए थे। इस पर दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष तीनों गाडियों में रखे ड्रमों को उतरवाया गया व गेज की सहायता से गाड़ियों में रखे ड्रमों के डीजल को मापा गया। थाना परिसर में खड़ी महिन्द्रो बोलेरों में 04 प्लास्टिक के ड्रम लदे हुए थे माप करने पर एक में 230 लीटर, एक में 180 लीटर, एक में 160 लीटर व एक में 40 लीटर डीजल जैसा तरल पदार्थ थो, जो सूंघने पर डीजल जैसा प्रतीत हुआ। इस प्रकार **वाहन RJ13-GB-3573 में कुल 610 लीटर डीजल पाया।** दूसरे वाहन **RJ13-GB-6590** में कुल 07 ड्रम के डीजल को गेज से मापा गया तीन ड्रमों में 210 लीटर अनुसार 630 लीटर डीजल व 02 प्लास्टिक के ड्रमें में 230 लीटर के अनुसार 460 लीटर [illegible] एक लोहे का ड्रम जिसमें हस्तचलित पंप लगा हुआ था में 160 [illegible] एक लोहे के ड्रम में 50 लीटर डीजल इस प्रकार इस वाहन में **कुल 1300 लीटर डीजल** भरा हुआ था। इस क्रम में पुलिस थाना में खड़े **तीसरे वाहन RJ13-GB-6821** में कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

08 ड्रम लोड थे, मौके पर गेज से माप किया गया। माप करने पर 04 प्लास्टिक के ड्रमों में 230 लीटर अनुसार 920 लीटर व शेष चार प्लास्टिक के ड्रमों में 210 लीटर प्रति ड्रम के अनुसार 840 लीटर डीजल व दो कैनियों में 50 लीटर प्रति कैनी अनुसार कुल 100 लीटर डीजल इस प्रकार **कुल 1860 लीटर डीजल रखा** मिला। मौके पर गाड़ियों के पास खाली ड्रम व जरिकेन व अन्य सामग्रियां भी पाई, जिनका ब्यौरा है कि लोहे के 04 जेरिकन 20 लीटर क्षमता के दो खाली तथा दो में **40 लीटर सी.एल. ऑयल**, 01 लोहे की बडी चोरस कीप, एक लोहे की छोटी कीप, एक दस लीटर का लोहे का माप व 18 प्लास्टिक के खाली ड्रम, तीन पचास लीटर की व एक तीस लीटर क्षमता की खाली प्लास्टिक की कैनियां, 01 प्लास्टिक पाईप हरे रंग की तकरीबन 15 फुट व भूरे रंग की 6 फीट प्लास्टिक पाये गये। **मौके पर थानाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा उक्त कार्यवाही 2 जीएम ढाणी में सम्पादित की गई थी और चूंकि डीजल की मात्रा ज्यादा थी व एक बोलेरो गाड़ी या वाहन में इतनी मात्रा में आना संभव नहीं थी। अतः भरे हुए डीजल के ड्रमों को अलग—अलग दो अन्य महिन्द्रा बोलेरो गाडियों में भरकर लाया गया था। मुताबिक थानाधिकारी मौके पर दौरान कार्यवाही 2 जीएम ढाणी में एक साथ बोलेरो पिकअप वाहन, भारी मात्रा में डीजल भरे ड्रम व माप हेतु पाये गये माप व पाईप का पाया जाने से प्रतीत होता है कि अप्रार्थी राजाराम द्वारा अपनी ढाणी में अवैध डीजल का बिला लाईसेंस व परमिट के बेचान की मंशा से अपने कब्जे में रखा गया है। मौके पर एक साथ पाये गये तीन वाहनों से प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा संयुक्त रूप से डीजल का कारोबार किया जाता** है। अतः अप्रार्थीगण राजाराम पुत्र भादरराम, साहबराम पुत्र रामचंद, विनोद कुमार पुत्र हंसराज व सुधीर पुत्र [illegible] द्वारा डीजल का अवैध परिवहन व क्षमता से अधि[illegible] अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत **जारी मोटर स्प्रिट औ[illegible] उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर),3(4)(6), 4 तथा पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लॉज 2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा 3770 लीटर डीजल, 40 लीटर सी.एल.ऑयल, 03 प्लास्टिक के ड्रम, 01 लोहे का ड्रम, 01 हस्तचलित पंप, 08 प्लास्टिक के कैन, 02 लोहे की कीप, 01 लोहे का दस लीटर का माप, 02 प्लास्टिक पाईव व 03 वाहन 1. RJ13-GB-6821, 2. RJ13-GB-6590, 3. RJ13-GB-3573 को राजसात करने की प्रार्थना की है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी राजराम एवं साहबराम द्वारा एसबी क्रिमीनल मिस. (पैटीशन) संख्या 3838/2020 बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जोधपुर के निर्णय दिनांक 22.03.2021 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 25.03.2021 को पेश की है। जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध लम्बित इस प्रकरण का आदेश प्राप्ति से एक माह के भीतर निर्णय करने का आदेश दिया है। उक्त निर्णय के अनुसार दिनांक 25.04.2021 तक इस प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए।

प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के प्रस्तुत निर्णय की प्रति से यह प्रतीत नहीं होता है कि उक्त एसबी क्रिमीनल मिस. (पैटीशन) संख्या 3838/2020 इस न्यायालय के किस आदेश के विरूद्ध है जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश के साथ पैटीशन के शीर्षक के संलग्न पृष्ठ [illegible] होता है कि उक्त एसबी क्रिमीनल मिस. (पैटी[illegible] [illegible]नीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के द्वारा रामसि[illegible] थाना की एफ.आई.आर. नं. 233/2020 पर दिये गये निर्णय दिनांक 12.11.2020 से सम्बन्धित हैं। इस पैटीशन में जिला कलक्टर पक्षकार नहीं है और न ही इस न्यायालय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई आदेश पारित किया गया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा प्रार्थी की उक्त 6ए के लम्बित प्रकरण का आदेश प्राप्ति के एक माह भीतर निस्तारित करने का आदेश देते हुए राजाराम वगै. द्वारा प्रस्तुत अपराधिक पैटीशन का निस्तारण कर दिया। इसलिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा निर्धारित अवधि से पूर्व निर्णय किया जाना आवश्यक है, जो किया जा रहा है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थीगण पर ही था कि उसके द्वारा किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से हैः—

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

अप्रार्थीगण राजाराम, साहबराम, सुधीर कुमार एवं विनोद कुमार ने नोटिस धारा 6(बी) क[illegible]2.2020 मय फोटो बिल नं. 8651/21.10.2020 — सुधि[illegible] प्रकाश — 900 लीटर डीजल, बिल नं. 8652/21.1[illegible] हंसराज — 900 लीटर, बिल नं. 8667/21.10.2020 —राजाराम पुत्र ब[illegible]र राम — 990 लीटर डीजल एवं बिल नं. 8669/21.10.2020 — साहबराम पुत्र रामचन्द — 990 लीटर डीजल

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

को इस न्यायालय में पेश किये है और उसने बहस के दौरान साहबराम के नाम से प्रस्तुत जमाबन्दी 1.710है. (7 बीघा), भादरराम (साहबराम के पिता) के नाम से प्रस्तुत जमाबंदी 1.810है. (7.15 बीघा) नानकराम (साहबराम के चाचा) के नाम से प्रस्तुत जमाबंदी 1.808 है. (7.14) की ऑनलाईन प्रति पेश की है और कथन किया है कि वे कृषक है और अपने कृषि कार्यो के लिए अप्राथी साहबराम के वाहन संख्या **RJ13-GB-6590** में अपने लिए 990 लीटर डीजल बिल संख्या 8668/21.10.2020 एवं विनोद कुमार वाहन चालक **वाहन संख्या RJ13-GB-6590** में अपने लिए 900 लीटर डीजल बिल संख्या 8652/21.10.2020 में परिवहन कर मै. शेरगढ फिलिंग स्टेशन से लाया है और इसी प्रकार राजाराम अपने वाहन संख्या **RJ13-GB-3573** में अपने लिए 990 लीटर डीजल बिल संख्या 8667/21.10.2020 को मै. फिलिंग स्टेशन से लाया है और अप्रार्थी राजराम के दूसरे वाहन संख्या **RJ13-GB-6821** से सुधीर कुमार 900 लीटर डीजल बिल संख्या 8651/21.10.2020 से लाया है। अप्रार्थीगण किसी प्रकार से डीजल/पेट्रोल का अवैध कारोबार नहीं करते है और न ही किसी प्रकार से डीजल का अवैध कारोबार करते हुए उन्हें पकड़ा गया है और न ही उनके जब्त किये गये परिमापों से भी कोई अवैध व्यापार करना साबित होता है। यह परिमाप केवल कृषि कार्यों में प्रयुक्त साधनों में ट्रेक्टी ईंजन में डालने हेतु रखे गये थे। उक्त प्रत्येक वाहन में परिवहन किये गये डीजल की मात्रा राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश 1990 की निर्धारित सीमा 1000 लीटर से कम और केन्द्र सरकार के [illegible]99 की निर्धारित सीमा 2500 लीटर से कम है। इसलिए उक्त मात्रा में परिवहन के लिए किसी प्रकार के अनुज्ञा पत्र/परमिट की आवश्यकता भी नहीं है। अतः उनके विरूद्ध गलत तथ्यों से बनाया गया प्रकरण समाप्त किया जावे और जब्तशुदा डीजल, तीनों वाहन एवं अन्य परिमाप आदि वापिस लौटाये जावे का कथन स्वीकार करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

योग्य नहीं है क्योंकि पुलिस द्वारा दिनांक 22.10.2020 को राजाराम की ढाणी की खुली जगह में भारी मात्रा में अवैध डीजल हो सकता है, की सूचना पर जांच करने हेतु श्री रोहित सांखला, आरपीएस पहुंचे तो मौके पर राजाराम पुत्र भादरराम निवासी 2 जीएम, साहबराम पुत्र रामचन्द्र निवासी चक 3 सीएम, विनोद कुमार पुत्र हंसराज निवासी भोपालपुरा एवं सुधीर पुत्र ओम प्रकाश निवासी गुडली मिले और राजाराम ने मौके पर खड़ी महेन्द्र पिकअप **RJ13-GB-6821** अपनी बताया और सुधीर कुमार ने महिंदा कैंपर पिकअप **RJ13-GB-3573** अपनी होना बताया इसीप्रकार साहबराम ने महेन्द्र पिकअप **RJ13-GB-6590** अपनी बताया और विनोद कुमार ने स्वयं को साहबराम की गाडी का ड्राईवर होना बताया और फर्द जब्ती के अनुसार महिंद्रा पिकअप RJ13-GB-6821 से 3770 लीटर डीजल, 40 लीटर सी.एल.ऑयल, 03 प्लास्टिक के ड्रम, 01 लोहे का ड्रम, 01 हस्तचलित पंप, 08 प्लास्टिक के कैन, 02 लोहे की कीप, 01 लोहे का दस लीटर का माप, 02 प्लास्टिक पाईप मिला और वाहन संख्या **RJ13-GB-6590** में 15नीले रंग के ड्रम रखे थे जिनमे डीजल की बू आ रही थी और वाहन संख्या **RJ13-GB-3573** में 2 ड्रम रखे हुए थे जिनमें एक ड्रम नीले रंग एवं एक ड्रम लाल रंग थ तथा कैम्पर के डाला में दोनों ड्रम के अलावा 4 प्लास्टिक के 50—50 लीटर वाले जरिकेन जिनमें 2 स्लेटी रंग व एक नीले रंग का था तथा दो जरिकेन 20—20 लीटर वाले लोहे के थे सभी जरिकेन और ड्रम खाली थे जिनमें डीजल की बू आ रही थी। इस प्रकार राजाराम के कब्जे से उ[illegible] 2500 लीटर डीजल से अधिक डीजल अर्थाज 3770 [illegible] और डीजल नापने के अन्य परिमाप प्राप्त [illegible] पास उक्त मात्रा में डीजल परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई [illegible] अनुज्ञा पत्र नहीं है जो मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण)आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 04 एवं तथा पेट्रोलियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश,1999 के क्लॉज 2(आई) का भी स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए उक्त राजाराम का वाहन महेन्द्र पिकअप संख्या **RJ13-GB-6821** मय 3770 लीटर डीजल के राजसात करने योग्य ठहरते है।

जहां तक वाहन संख्या RJ13-GB-6590 में 1300 लीटर डीजल वाहन संख्या **RJ13-GB-3573** में 610 लीटर डीजल एवं वाहन संख्या **RJ13-GB-6821** में 1860 लीटर डीजल थाने में जांच के दौरान मिलने का सम्बन्ध है, जिसके बारे में थानाधिकारी द्वारा जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को लिखे अपने पत्र क्रमांक 3027 दिनांक 22.10.2020 से यह स्पष्ट किया है कि राजाराम की ढाणी में राजाराम के वाहन संख्या **RJ13-GB-6821** से जब्त किये गया 3770 लीटर डीजल अत्याधिक मात्रा में था, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उसे उक्त तीन वाहनों में उक्तानुसार लेकर गये थे इसका लाभ अप्रार्थीगण इस आधार पर नहीं ले सकते कि प्रत्येक वाहन में उनके बिलों के अनुसार निर्धारित सीमा से कम डीजल था।

जहां तक साहब राम के महेन्द्रा पिकअप संख्या RJ13-GB-6590 एवं राजाराम के दूसरे वाहन कैम्पर RJ13-GB-3573 का सम्बन्ध है। जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 23.10.2020 को बनाई जब्ती जिस पर साहबराम, राजाराम, सुधीर कुमार और विनोद कुमार व अन्य मौजूद व्यक्तियों के हस्ताक्षर है में उक्त डीजल के साथ साथ **साहबराम के नाम** से निम्न बिल भी जब्त किये गये है :

क्र.सं.	बिल संख्या	पेट्रोल/डीजल	राशि
1	618/26.06.2020	68 लीटर पैट्रोल 3043.02 [illegible]	5485 226773
2	620/26.09.20	44 लीटर [illegible] 40 [illegible] 299 लीटर [illegible] 11.91 लीटर [illegible]	3201 3226 21743 866
3	943/18.10.20	1973 लीटर डीजल	142726
4	122/26.09.20	—	6309
5	8668/21.10.20	990 लीटर डीजल	71913

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त के अतिरिक्त राजाराम एवं बृजलाल के नाम से बिल संख्या 2675—2676 दिनांक 21.10.2020 के 500—500 लीटर के भी जब्त किये गये है। **इसप्रकार साहब राम द्वारा उक्त बिलों के आधार पर 6363.93 लीटर डीजल व 108 लीटर पैट्रोल क्रय करना यह साबित करता है कि साहबराम डीजल के अवैध कारोबार में लिप्त हैं और उक्त अवैध कारोबार में डीजल परिवहन करने के लिए अपने उक्त वाहन का उपयोग करता है न कि अपनी 7 बीघा कृषि कार्य के लिए।** अप्रार्थी साहबराम ने न तो कोई ट्रैक्टर का या न तो ट्येबवैल होने का कोई साक्ष्य पेश किया है जिससे यह साबित हो कि उसे कृषि कार्य के लिए इतनी बड़ी मात्रा मे डीजल की आवश्यकता थी। चूंकि राजराम के पिता 7.15 बीघा और चाचा की 7.14 बीघा भूमि है और उसके द्वारा भी कोई ट्रैक्टर या ट्यूबवेल आदि के कोई साक्ष्य पेश नही किये गये है जिससे यह साबित हो कि उसे कृषि कार्य के लिए इतनी बड़ी मात्रा में जब्त किये गये **3770 लीटर डीजल** की आवश्यकता थी। **इस प्रकार उक्त जब्त किये गये बिलों से और परिमाप से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी राजाराम के दोनों जब्तशुदा वाहन और साहबराम के जब्तशुदा वाहन राजसात करने योग्य है** और **अप्रार्थीगण द्वारा 21.10.2020 के जो बिल जवाब के साथ पेश किये गये है वे केवल मात्र कानूनी प्रावधानों को विफल करने के लिए After thought प्राप्त कर पेश किये गये है। साहबराम, राजाराम आदि ने पूर्व में जब्तशुदा बिलों पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण दिनांक 21.10.2020 को पे[illegible]ये बिलों का कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।** इसलिए जब्त[illegible]37[illegible] डीजल, 40 लीटर सी.एल. ऑयल, 03 प्लास्टिक के ड्रम, 01 लोहे का ड्रम, 01 हस्तचलित पंप, 08 प्लास्टिक के कैन, 02 लोहे की कीप, 01 लोहे का दस लीटर का माप,

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

02 प्लास्टिक पाईव व 03 वाहन **1. RJ13-GB-6821, 2. RJ13-GB-6590, 3. RJ13-GB-3573** राजसात करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण)आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू) (आर), 3(4)(6), 04 तथा पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश,1999 के क्लॉज 2(आई) की अवेहलना के कारण जब्तशुदा 3770 लीटर डीजल, 40 लीटर सी.एल.ऑयल, 03 प्लास्टिक के ड्रम, 01 लोहे का ड्रम, 01 हस्तचलित पंप, 08 प्लास्टिक के कैन, 02 लोहे की कीप, 01 लोहे का दस लीटर का माप, 02 प्लास्टिक पाईव एवं 03 वाहन **1. RJ13-GB-6821, 2. RJ13-GB-6590,3. RJ13-GB-3573** भी राजसात किये जाते है।

चूंकि उक्त जब्तशुदा वाहन डीजल के अवैध कारोबार में लिप्त पाये गये है इसलिए माननीय माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात** करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। चूंकि साहबराम के वाहन संख्या **RJ13-GB-6590** का अनुमानित **बाजार भाव आठ लाख रूपये** एवं राजाराम के वाहन संख्या **RJ13-GB-6821** का अनुमानित **बाजार भाव आठ लाख रूपये** एवं **RJ13-GB-3573** अनुमानित **बाजार भाव एवं छः लाख रूपये** है। **इसलिए प्रत्येक वाहन पर पांच-[illegible] लाख रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी उक्त [illegible] राशि अदा कर देवें तो जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर उक्त वाहनों को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहनों को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि पूर्व में जब्तशुदा डीजल ज्वलनशील द्रव्य है व इसमें छिजत होने की संभावना है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665 ,oa State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त 3770 लीटर डीजल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 3770 लीटर डीजल की विक्रय राशि एवं अन्य उपकरणों को विक्रय कर राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested